विकसित भारत-रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) :

वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025

पृष्ठभूमि: ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाएँ

आजादी के बाद भारत की ग्रामीण विकास नीतियाँ गरीबी को दूर करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, अलग-अलग मजदूरी आधारित रोजगार योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त और आंशिक-नियोजित ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने तथा ग्रामीण अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने पर केंद्रित रही हैं। पिछले कुछ दशकों में, इन नीतियों का दृष्टिकोण समुदाय विकास कार्यक्रमों से लेकर रोजगार सृजन योजनाओं तक विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना रहा है। बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और तकनीकी प्रगति से ग्रामीण रोजगार का सृजन करने वाली योजनाओं के स्वरुप में निरंतर बदलाव आया है।

1. मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों का विकास

भारत में ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विकास कई चरणों में हुआ है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में रूरल मैनपावर प्रोग्राम और वर्ष 1971 में प्रारंभ की गई क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जैसे शुरुआती कार्यक्रमों से हुई। 1980 के दशक में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आरंभ किए गए, जिन्हें 1993 में एकीकृत कर जवाहर रोजगार योजना बनाई गई। आगे चलकर, ग्रामीण रोजगार प्रयासों को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समाहित किया गया।

कृषि के कम काम वाले सीज़न के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त ,1977-78 में शुरु किये गये काम के बदले अनाज कार्यक्रम को वर्ष 2004 में विस्तारित करते हुए 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफडब्लूपी) के रूप में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यों में अकुशल श्रम के बदले मजदूरी के रूप में खाद्यान्न प्रदान किए गए, जिससे आकांक्षी जिलों को लक्षित करते हुए खाद्य सुरक्षा और रोजगार, दोनों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से, महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ, कार्य का कानूनी अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार, पहली बार रोजगार को एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करने की अवधारणा सामने आई।

हालाँकि, इन प्रारंभिक पहलों से ग्रामीण परिवारों को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन ग्रामीण भारत में बेरोज़गारी और गरीबी की व्यापक चुनौतियों के अनुपात में इन योजनाओं का दायरा और संसाधन सीमित रहे। इसी पृष्ठभूमि में, वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु एक सुदृढ़ वैधानिक ढाँचा प्रदान किया जा सके।

2. नए ग्रामीण विकास ढाँचे (फ्रेमवर्क) की ओर

पिछले बीस वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मजदूरी-आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें सुनिश्चित आय की प्राप्त हुई है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक कवरेज और प्रमुख सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन-आधारित क्रियान्वयन से ग्रामीण परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आये हैं। इन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए, मौजूदा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण पहुंच, ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल पहुंच में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है; साथ ही ग्रामीण कार्यबल में विविधता आई है और उनकी आकांक्षाएं बेहतर आय, विकास-आधारित अवसंरचना, सतत आजीविका और अधिक जलवायु अनुकूलन की ओर बढ़ी हैं।

इन बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत अभिसरण (कन्वर्जेंस) की आवश्यकता है, जिससे अनेक पूरक सरकारी योजनाओं को एकीकृत करते हुए सरकार के समग्र दृष्टिकोण (Whole of Government approach) आधारित ग्रामीण विकास ढाँचा स्थापित किया जा सके। यह आवश्यक है कि ग्रामीण -अवसंरचना के सृजन का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न प्रावधानों से आगे बढ़कर एक सुसंगत और भविष्य-उन्मुख योजना की ओर रूपांतरित हो। इसके साथ ही, वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है, ताकि देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को कम किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

जैसे-जैसे राष्ट्रीय विकास आगे बढ़ता है, नई आवश्यकताओं और बढ़ती आकांक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समय-समय पर बदलाव की ज़रूरत होती है। वर्तमान के बदलते परिदृश्य में, विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। विकास के कामों के बढ़ते दायरे से ग्रामीण परिवारों के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सृजित होने की संभावना है। इस स्थिति में, ग्रामीण श्रमबल को विकसित भारत के विज़न के अनुरूप अधिक प्रभावी रूप से भागीदार बनाना आवश्यक है, ताकि उन्हें सशक्त बनाते हुए उनकी आजीविका सुरक्षा को और मज़बूत किया जा सके। इसलिए, सरकार ने एक उपयुक्त क़ानून बनाकर ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों के लिए मज़दूरी आधारित रोज़गार गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का फैसला किया गया है।

3. विकसित भारत**-** रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन **(**ग्रामीण**) :** वीबी**-**जी राम जी **(**विकसित भारत**-**जी राम जी**)** विधेयक**, 2025** का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तावित विधेयक का शीर्षक विकसित भारत-रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 है। इसका उद्देश्य विकसित भारत@2047 के नेशनल विजन के अनुरूप एक सुदृढ़ ग्रामीण विकास ढाँचा स्थापित करना है। इस विधेयक के माध्यम से प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी-आधारित रोज़गार की क़ानूनी गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और परिपूर्णता को प्रोत्साहित करते हुए एक समृद्ध और सुदृढ़ ग्रामीण भारत बन सके।

5. प्रस्तावित बिल की मुख्य विशेषताएं

5.1 ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क को विकसित भारत **2047** के साथ जोड़ना

विकसित भारत-रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 के ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है, ताकि मज़दूरी आधारित रोज़गार, परिसंपत्ति निर्माण और सार्वजनिक निवेश को मिलाकर एक अधिक समृद्ध, अनुकूल और समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण सुनिश्चित हो सके। इस विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण कार्यों को गांवों में बेहतर अवसंरचना, मज़बूत आजीविका और अधिक जलवायु अनुकूलता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में रखा गया है, ताकि विकसित भारत की परिकल्पना विकसित गांवों के माध्यम से साकार हो।

5.2 कन्वर्जेंस एवं परिपूर्णता आधारित दृष्टिकोण

इस विज़न को अमल में लाने के लिए, यह विधेयक कन्वर्जेंस और परिपूर्णता आधारित पद्धति को अपनाता है, जो एक सुसंगत ग्रामीण विकास संरचना के तहत अलग-अलग पूरक सरकारी योजनाओं को एकीकृत करता है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों, विभागों और कार्यक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे अलग-अलग काम करने के स्थान पर आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि योजनाबद्ध रुप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करते हुए सभी पात्र परिवारों को शामिल किया जा सके।

5.3 विषय-आधारित एवं परिसंपत्ति-केंद्रित सार्वजनिक कार्य

इसी आधार पर, यह विधेयक सार्वजनिक कार्यों की एक संरचित विषय-आधारित (थीमैटिक) प्राथमिकता को अपनाता है ताकि, गारंटीयुक्त रोज़गार का प्रत्येक दिन उत्पादक और टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन में परिणत हो। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से चिह्नित सभी कार्यों को विकसित भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में समेकित किया जाएगा, जिससे विकसित भारत के नेशनल विजन के अनुरुप एक एकीकृत और भविष्योन्मुखी ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

5.4 चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्र

- जल सुरक्षा **:** जल संरक्षण संरचनाएँ, सिंचाई सहायता, भूजल पुनर्भरण, जल निकायों का पुनर्जीवन, वाटरशेड एरिया का विकास तथा वनीकरण जैसे जल-संबंधित कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को सुदृढ़ करेंगे।

- मुख्य ग्रामीण अवसंरचना : ग्रामीण सड़कों, सार्वजनिक भवनों, विद्यालय अवसंरचना, स्वच्छता प्रणालियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएँ और केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आवास कार्य जैसी आवश्यक नागरिक, सामाजिक एवं सेवा प्रदाय परिसंपत्तियाँ बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करेंगी और सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाएंगी।

- आजीविका-संबंधी अवसंरचना : कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, बाज़ार, कौशल विकास और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका, मूल्य संवर्धन तथा आय के विविध अवसरों को बढ़ावा देंगी।

- प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के लिए विशेष कार्य : आश्रय स्थल, तटबंध निर्माण, बाढ़-प्रबंधन संरचनाएं, पुनर्वास कार्य और वनाग्नि नियंत्रण उपाय जैसे कार्यों के ज़रिये प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रति अनुकूल गाँवों के निर्माण में सहायक होंगे।

उपरोक्त विषयगत केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक कार्य एक साथ जल सुरक्षा को बढ़ाएँ, प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करें, आजीविका के अवसरों का विस्तार करें और एक जलवायु अनुकूलता विकसित करें। इस प्रकार, विकसित भारत@2047 के नेशनल विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत के समग्र प्रगति का आधार बनते हुए यह विधायक सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और परिपूर्णता को प्रोत्साहित करें।

5.5 आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन प्रणाली

यह विधेयक प्रभावी क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व तथा उच्च-विश्वसनीयता वाले सेवा-प्रदाय शासन को सुनिश्चित करने हेतु एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम संरचना की स्थापना का प्रावधान करता है। गहन डिजिटल पहुँच, बेहतर संपर्कता और विस्तारित सार्वजनिक अवसंरचना वाले ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में, शासन प्रणालियों को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, रियल-टाइम मॉनिटरिंग तथा उन्नत पारदर्शिता वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

इस व्यवस्था के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल-आधारित निगरानी, स्पेशियल टेक्नोलॉजी आधारित योजना निर्माण, रियल-टाइम डैशबोर्ड, एआई-सक्षम विश्लेषण तथा नागरिक सहभागिता के प्लेटफार्म का प्रावधान किया गया है। ये व्यवस्थाएँ श्रमिकों, पदाधिकारियों और संबंधित लेन-देन का सटीक सत्यापन सुनिश्चित करती हैं, निगरानी एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाती हैं तथा क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में समयबद्ध रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई को समर्थन प्रदान करती हैं।

सुदृढ़ सोशल ऑडिट, इसकी शासन संरचना का एक प्रमुख घटक होगा, जो ग्राम स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को और मज़बूत करेगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर की एक संचालन समिति और राज्य स्तर की संचालन समिति, अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन करेंगी। इससे समन्वित पर्यवेक्षण तथा सरकार का समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस आधुनिक और प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन व्यवस्था को अंतर्निहित करके यह विधेयक

सेवा-प्रक्रिया को अधिक अनुमान करने योग्य बनाता है, दोहराव को कम करता है, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करता है तथा सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और परिपूर्णता को समर्थन प्रदान करता है। यह शासन व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विकसित भारत@2047 के नेशनल विज़न की ओर ग्रामीण भारत को अग्रसर करने हेतु आवश्यक प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सके।

5.6 प्रमुख वैधानिक प्रावधान

क) सुदृढ़ आजीविका गारंटी

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को विकसित भारत@2047 के अनुरूप संरेखित करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के उन वयस्क सदस्यों के लिए, जो अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों, प्रति वित्तीय-वर्ष 125 दिन के सुनिश्चित मजदूरी आधारित रोज़गार की गारंटी दी जाएगी, जिससे आजीविका सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ किया जा सके।

ख) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकरण

सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समाहित किया जाएगा। इसमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग) विकसित ग्राम पंचायत योजना आधारित आयोजना निर्माण

आयोजना का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पीएम गति-शक्ति सहित स्पेशियल टेक्नोलॉजी आधारित योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

घ) कृषि के पीक सीज़न में श्रमबल की उपलब्धता

राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वे अग्रिम रूप से किसी वित्तीय वर्ष में 60 दिनों तक की अवधि अधिसूचित कर सकेंगे, जो बुवाई एवं कटाई के पीक सीज़न में शामिल होगी। इस अवधि के दौरान विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों से कार्य नहीं कराए जाएंगे, जिससे कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण समय हेतु पर्याप्त श्रमबल उपलब्ध हो सके।

च) केंद्र प्रायोजित योजना

यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच साझा ज़िम्मेदारियों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी।

छ) मानक (नॉरमेटीव) आवंटन

केंद्र सरकार नियमों में निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर प्रत्येक राज्य को मानक आवंटन जारी करेगी। मानक आवंटन से अधिक होने वाले व्यय की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी। इससे देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा तथा समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

ज) विशेष छूट

प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार विशेष छूट प्रदान कर सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के कार्य बिना किसी प्रशासनिक बाधा के शीघ्रता से किए जा सकें और प्रभावित समुदायों को समय पर सहायता मिल सके।

झ) पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी आधारित योजना, मोबाइल और डैशबोर्ड-आधारित मॉनिटरिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली तथा सुदृढ़ सोशल ऑडिट व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा।

ट) संस्थागत पर्यवेक्षण

कानून के प्रावधानों की समीक्षा, निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद तथा राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषदों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र एवं राज्य स्तर पर संचालन समितियों का गठन किया जाएगा, जो मानक आवंटन, कन्वर्जेंस तथा अन्य संबंधित विषयों की अनुशंसा करेंगी।

ठ) मजदूरी दरों का निर्धारण

अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएँगी। जब तक नई मजदूरी दरें अधिसूचित नहीं की जातीं, तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लागू वर्तमान मजदूरी दरें ही प्रभावी मानी जाएँगी।

ड) राज्य सरकारों को छह माह के भीतर बनानी होंगी योजना

प्रत्येक राज्य सरकार विधेयक के प्रवर्तन की तिथि से छह माह के भीतर इस गारंटी को क्रियान्वित करने हेतु अपनी योजना अधिसूचित करेगी।

ढ) बेरोज़गारी भत्ता

यदि पात्र आवेदकों को निर्धारित अवधि के भीतर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें बेरोज़गारी भत्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगी।

त) श्रमिकों के लिए न्यूनतम क़ानूनी संरक्षण

यह विधेयक योजना के अंतर्गत श्रमिकों की क़ानूनी गारंटी एवं अधिकारों की रक्षा हेतु न्यूनतम आवश्यक विशेषताओं और शर्तों का स्पष्ट प्रावधान करता है।

*****